दिनांक 15.11.2017 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में सभी संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ आयोजित विडियों कॉन्फ्रेन्स की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम कृषि निदेशक, बिहार द्वारा विडियों कॉन्फ्रेन्स में उपस्थित सभा पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

1. <u>कृषि यांत्रिकीकरण योजना :–</u>

1.1 इस योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 180.00 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक मात्र बांका जिला में 10.00 लाख रू0 की निकासी हुई। शेष जिलों में निकासी शून्य है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गया में 8 लाख रू0 एवं पटना में 16.69 लाख रू0 का विपत्र कोषागार में भेजा गया है। मुजफ्फरपुर में 12 लाख रू0, रोहतास में 10 लाख रू0, कैमूर में 15.57 लाख रू0 एवं नालन्दा में 12 लाख रू0 का विपत्र कोषागार में भेजा जा रहा है। सिवान, जहानाबाद एवं अरवल में विपत्र तैयार किया जा रहा है।

1.2 जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा बताया गया कि कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर ने विभाग द्वारा निर्गत सभी आवंटन सम्बंधी पत्रों एवं प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर का अभिप्रमाणित नमूना निबंधित डाक द्वारा उपलब्ध कराने की मांग की है। बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग)

1.3 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में अभी तक कुल 58679 ऑन लाईन आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। मधेपुरा में 355, मुंगेर में 449, खगड़िया में 508, सुपौल में 74, अरवल में 272, दरभंगा में 771 एवं लखीसराय में 782 ऑनलाईन आवेदन पत्र अभी तक प्राप्त हुए हैं जो बहुत ही कम है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर से पंचायतवार लक्ष्य आवंटित कर दें तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयकों की बैठक बुलाकर उन्हें भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य उपलब्ध करा दें तथा उन्हें किसानों से सम्पर्क स्थापित कर ऑन लाईन आवेदन भरवाने का निदेश दें।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2. <u>जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम :–</u>

2.1 गंगा नदी के किनारे वाले 9 जिलों में जैविक कौरिडोर का निर्माण करने हेतु गाँव का चयन तो हो गया है। लेकिन कृषक समूह का गठन अभी तक नहीं हुआ है। सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार कृषक समूह का गठन कर कृषकों की सूची रजिस्ट्रेशन हेतु बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेन्सी को तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दिया जाय।

2.2 कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार जिला स्तर पर रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षण देने, उपादान वितरण करने वाले डीलरों के साथ बैठक कर टैगिंग करने तथा जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान पर वितरित किये जाने वाले उपादानों का इन जिलों में अविलम्ब वितरण कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–कंडिका 2.1 एवं 2.2– संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

2.3 जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 129.77 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक मात्र 193.46 लाख रू0 की निकासी हुई है। कुछ जिलों में प्राप्त आवेदन की संख्या अभी तक बहुत कम है। सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को निदेश दिया गया कि जिलों में समीक्षा कर रब्बी मौसम में लग रहे शिविर/कैम्प में अनुदान पर वितरित होने वाले विभिन्न

उपादानों की उपलब्धि कराई जाय। निदेश दिया गया कि विभिन्न घटकों का दिनांक 30 नवम्बर, 2017 तक स्वीकृति पत्र निर्गत कर दिया जाय तथा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 तक अधिक से अधिक राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।

(अनु0–सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक, शष्य)

2.4 इनपुट सब्सिडी हेतु कृषकों का चयन कर कृषक समूह का गठन करने एवं उनका रजिस्ट्रेशन कराने का निदेश दिया गया। इनका रजिस्ट्रेशन निःशुल्क किया जायेगा। इनपुट सब्सिडी वितरित करने वाले डीलरों की भी रजिस्ट्रेशन कराना है। इन योजना अन्तर्गत वैसे गाँवों का चयन करना है जहाँ के कृषक 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में जैविक खेती करने के लिए तैयार है। इसमें मात्र सब्जी पर अनुदान दिया जाएगा। सभी 9 जिलों में 20,000 कृषकों को इस वर्ष इनपुट सब्सिडी दी जानी है। 0.30 एकड़ भूमि के लिए अधिकतम 6000.00 रू0 अनुदान दिया जायेगा। इन कृषकों को किसी अन्य माध्यम से कोई अन्य सब्सिडी नहीं दी जाएगी। एक किसान को एक ही योजना से इनपुट सब्सिडी दी जायेगी।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

2.5 नालन्दा जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वाले गाँवों में पारम्परिक कृषि विकास योजना से तथा गंगा नदी के किनारे वाले गाँवों में अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण योजना से जैविक कोरिडोर का निर्माण किया जायेगा।

(अनु0– जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा)

3. <u>फसल क्षति हेतु इनपुट अनुदान</u> :–

3.1 फसल क्षति हेतु 19 जिलों को 950.05 करोड़ रू0 का आवंटन जिला पदाधिकारियों को भेजा गया है। जिला पदाधिकारियों को यह राशि वितरित करनी है। इसमें जिला कृषि पदाधिकारी को सहयोग करना है। फसल बीमा योजना से आच्छादित भूमि/कृषकों को यह राशि नहीं दी जायेगी।

3.2 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बाढ से फसल क्षति हेतु भेजी गई राशि में से अभी तक मात्र पूर्वी चम्पारण में 27.33 करोड़ रू0 की निकासी हुई है। किशनगंज, मधेपुरा एवं गोपालगंज में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखण्डों को राशि उप आवंटित कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा यह राशि जिला कृषि पदाधिकारी को निकासी हेतु दे दिया गया है। शेष जिलों में राशि अभी तक प्रखण्डों को उप आवंटित नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी से मिलकर अविलम्ब राशि प्रखण्डों को उप आवंटित कराते हुए इसका वितरण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनु0–कंडिका 3.1 एवं 3.2 संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

4. <u>डीजल अनुदान</u> :– डीजल अनुदान हेतु खरीफ, 2017 में कुल आवंटित राशि 90.43 करोड़ रू0 में से अभी तक मात्र 17.14 करोड़ रू0 की निकासी हुई है। कुल 3,48,531 आवेदन प्राप्त हुए है जिसमें से 1,77,050 कृषकों को अनुदान राशि उपलब्ध करा दिया गया है।

5. <u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन</u> :–

5.1 अधिकांश जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि रा0खा0सु0मि0 का विपत्र ऑनलाईन नहीं हो रहा है एवं कोषागार से पारित नहीं हो पा रहा है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गत वर्षो का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा नहीं होने के कारण विपत्र ऑनलाईन नहीं हो पा रहा है।

5.2 निदेश दिया गया कि जिस शीर्ष का विपत्र कोषागार से पारित नहीं हो पा रहा है तथा उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा नहीं किया गया है। वैसे जिला अपने प्रधान सहायक/लेखापाल को उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा करने हेतु सभी संबंधित कागजात के साथ दिनांक 17.11.2017 को बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग के पास भेज दें। जिन जिलों के प्रधान सहायक/लेखापाल

दिनांक 17.11.2017 को उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा नहीं कर सकेंगें उन जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी स्वयं दिनांक 18.11.2017 को प्रधान सचिव के कार्यालय कक्ष में आकर उनसे मिलेंगे।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

5.3 जिला कृषि पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि रा0खा0सु0मि0 के स्वीकृति आदेश पत्रांक 3768 दिनांक 21.09.2017 के कंडिका 22 में वित्तीय वर्ष 2017–18 के स्थान पर 2016–17 अंकित हो जाने के कारण कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित नहीं किया जा रहा है। इसका शुद्धि पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–प्रभारी पदाधिकारी, रा0खा0सु0मि0)

6. मृदा स्वास्थ्य कार्ड :–

6.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण की राज्य योजना हेतु कुल स्वीकृत राशि 800.00 लाख रू0 के विरूद्ध अभी तक 222.05 लाख रू0 की निकासी हुई है। भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार एवं गया में निकासी अभी तक शून्य है। जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि 2.87 लाख रू0 का विपत्र कोषागार में भेजा गया है।

6.2 वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के प्रथम साईकील में मिट्टी नमूना संग्रह के कुल लक्ष्य 12,75,972 के विरूद्ध अभी तक 11,65,222 नमूना प्रयोगशाला में प्राप्त हुआ है। प्रयोगशाला में प्राप्त नमूना की संख्या औरंगाबाद, भागलपुर, कैमूर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण एवं पूर्णिया में लक्ष्य से बहुत कम है। इन जिलों को अविलम्ब मिट्टी नमूना संकलित कर प्रयोगशाला में भेजने का निदेश दिया गया।

6.3 वित्तीय वर्ष 2017–18 में मिट्टी नमूना के कुल लक्ष्य 6,54,389 के विरूद्ध अभी तक 1,71,993 मिट्टी नमूना प्रयोगशाला में प्राप्त हुआ है। प्रयोगशाला में प्राप्त मिट्टी नमूना की संख्या नवादा, पटना, प0 चम्पारण सहरसा, शिवहर, सुपौल, नालन्दा, लखीसराय, किशनगंज, कैमूर, जमुई, भोजपुर, भागलपुर, बेगूसराय एवं औरंगाबाद में बहुत ही कम है। इन जिलों को अविलम्ब मिट्टी नमूना संकलित कर प्रयोगशाला में भेजने का निदेश दिया गया।

(अनु0–कंडिका 6.1 से 6.3 संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

6.4 सूचित किया गया कि सॉफ्टवेयर में जिला के अन्दर प्रखण्डवार डाटा उपलब्ध है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी इसे खोलकर देख लें कि किस प्रखण्ड में लक्ष्य के कम मिट्टी नमूना संकलित किया गया है एवं इन प्रखण्डों से अविलम्ब नमूना भेजवाना सुनिश्चित करें, क्योंकि खेत अभी खाली है। फसल लग जाने के बाद मिट्टी नमूना संकलित करने में कठिनाई होगी।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

7. उर्वरक / DBT/PoS :–

7.1 उर्वरक क्षेत्र में DBT/PoS कार्यक्रम की समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, उर्वरक कोषांग द्वारा अवगत कराया गया की कृषि निदेशालय का पत्रांक 932(उ) दिनांक 13.11.2017 के आलोक में सभी जिलों से PoS कार्यक्रम से संबंधित बिंदुवार प्रगति प्रतिवेदन की मांग की गयी थी परन्तु कई जिलों द्वारा उक्त प्रतिवेदन को उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन जिलों का नाम इस प्रकार है :– अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, जहानाबाद, मुंगेर, नालंदा, पटना, नवादा, रोहतास, सारण एवं सिवान। समीक्षा के क्रम में विभिन्न आपूर्तिकर्ता एवं उर्वरक कंपनी के प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया की भारत सरकार से संबद्ध pos मशीन आपूर्तिकर्ता द्वारा खगड़िया, शिवहर, सीतामढ़ी जिलों में दिनांक 22.11.2017 तक pos मशीन की आपूर्ति कर दी जाएगी।

7.2 pos मशीन की उपलब्धता पुरे राज्य में 24612 के विरुद्ध 21543 उपलब्ध हो गयी है जो की 88% है । जिलों में जितनी चवे मशीन उपलब्ध करायी गयी है उनमे औसतन 56% का ही वितरण हो पाया है जो की अत्यंत चिंतनीय है।

7.3 भारत सरकार ,उर्वरक मंत्रालय के mFMS वेबसाइट के आकड़ो के अनुसार pos मशीन के वितरण में 10 Poor Performer जिला का नाम इस प्रकार है– भोजपुर, नवादा, सुपौल, अररिया, बक्सर, अरवल, रोहतास, सिवान, पटना एवं जमुई है।

7.4 mFMS वेबसाइट के आकड़ों के अनुसार PoS मशीन द्वारा व्यवसाय के संपादन (Fully Functional) में 10 Poor Performer जिला का नाम इस प्रकार है– नवा़दा, सहरसा, मधेपुरा, बांका, अररिया, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, जमुई एवं लखीसराय है ।

(अनु0–कंडिका 7.1 से 7.4–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

7.5 pos मशीन का वितरण के साथ–साथ मशीन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं मशीन को Functional किया जाना अनिवार्य है , pos मशीन की उपलब्धता एवं वितरण के पश्चात् मशीन द्वारा व्यवसाय नहीं किया जाना ,लापरवाही एवं शिथिलता का द्योतक है । सभी जिला कृषि पदाधिकारी ,साप्ताहिक समीक्षा करें की लाइसेंसधारी खुदरा उर्वरक विक्रेता mFMS वेबसाइट पर कितने Active है एवं कितने मशीन द्वारा व्यवसाय कर रहे है ।आगामी बैठक में इस बिन्दु पर समीक्षा की जाएगी कि किस जिले से कितने Fully Functional है तथा कितने मशीन के माध्यम से व्यवसाय कर रहे है ।

7.6 PACS प्रतिनिधिओं का उर्वरक क्षेत्र में DBT/PoS कार्यक्रम में अपेक्षाकृत रुझान काफी कम है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेशित किया गया की दिनांक 30.11.2017 तक pos मशीन की वितरण का कार्य समाप्त कर लें, जो लाइसेंसधारी खुदरा उर्वरक विक्रेता, pos मशीन की प्राप्ति के लिए नहीं आते है उनका लाइसेंस दिनांक 01.12.2017 से रद्द समझा जायेगा, इसकी सूचना सभी जिलों में जिला कृषि पदाधिकारी अपने स्तर से जारी करना सुनिश्चित करें। कई जिलों से सुचना प्राप्त हुई है की प्रखंड स्तर पर भंडार पंजी का सत्यापन काफी धीमा है। जैसा की ज्ञात है, भंडार पंजी के सत्यापन के उपरांत ही रिटेलर्स की भंडार का वास्तविक आंकड़ा pos मशीन में दर्ज कर व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है। जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी, उक्त कार्य में शिथिलता से पेश आ रहे है उन्हें चिन्हित कर जबावदेही तय की जाय।

7.7 दिनांक 01.01.2018 को बिहार राज्य में पूर्णरूपेण उर्वरक क्षेत्र में DBT/PoS कार्यक्रम लागू हो जायेगा। DBT/PoS कार्यक्रम के सफल संचालन एवं कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु जिला DBT कार्य समिती की प्रत्येक माह जिला स्तर पर बैठक आयोजित की जाये एवं पूर्व में जारी किये गये दिशा–निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो।

(अनु0–कंडिका 7.5 से 7.7–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

8. प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना :–

8.1 इसके अन्तर्गत दो योजना (1) Other interventions एवं (2) Per drop more crop कार्यान्वित किया जा रहा है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राशि व्यय की स्थिति बेगूसराय, गया, जहानाबाद, मधेपुरा, नालन्दा, सीवान, कटिहार, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं सीतामढ़ी में बहुत ही असंतोषजनक है। निदेश दिया गया कि सभी 11 जिलों में जितना भी कार्यादेश निर्गत किया गया है, उसकी प्रति ई–मेल के माध्यम से BWDS को उपलब्ध कराया जाय तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण राशि व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।